

[FINANCIAL ASSISTANCE TO SANSKRIT
PANDITS IN U.P.]

346. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state the amount of financial assistance given to the Pandits in Uttar Pradesh during the year 1962-63 under the scheme of Government for providing financial assistance to Sanskrit Pandits in indigent circumstances and the names of the Pandits to whom it was given?]

शिक्षा मंत्री (श्री मोहम्मदअली करीम चागला) : जी, अब तक कुछ नहीं। किन्तु इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कुछ समय पहले केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने विचार किया था ; राज्य सरकारों के जरिए इनके सम्बन्ध में अब पूछताछ की जा रही है, और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

†[THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI M. C. CHAGLA): Nil, Sir, so far. However, applications received under this scheme were considered by the Central Sanskrit Board some time ago; enquiries are now being made about them through the State Government, and a final decision will be taken soon.]

उत्तर प्रदेश में संस्कृत के विद्वानों को वजीफे

३४७. श्री भगवत नारायण भागवत : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के पढ़े हुए विद्वानों को अनुसंधान के लिये वजीफे देने की योजना के अधीन सरकार ने १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश के किन किन व्यक्तियों को वजीफे दिए और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि कितनी अवधि के लिए दी गई ?

†[SCHOLARSHIPS TO SANSKRIT SCHOLARS
IN U.P.]

347. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state the names of persons belonging to Uttar Pradesh who were awarded scholarships in 1962-63 by Government under the scheme of awarding research scholarships to the products of traditional Sanskrit pathshalas and the amount given to each person and the period for which the same has been given?]

शिक्षा मंत्री (श्री मोहम्मदअली करीम चागला) : अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैं :—

| नाम | छात्रवृत्ति की राशि | छात्रवृत्ति की अवधि | छात्रवृत्ति के आरंभ होने की तारीख |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| १. श्री गौतम प्रसाद मिश्र | . १५० रुपये प्र०मास | दो वर्ष | १८-४-१९६३ से |
| २. श्री सती प्रसाद मिश्र | . १५० रुपये प्र०मास | दो वर्ष | १९-३-१९६३ से |
| ३. श्री भूदेव प्रसाद शास्त्री | . १५० रुपये प्र०मास | दो वर्ष | २-७-१९६३ से |
| ४. श्री कृष्ण हरि शर्मा पांडे | . १५० रुपये प्र०मास | दो वर्ष | ७-१०-१९६३ से |

†[THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI M. C. CHAGLA): The required information is given below:

| Names | Amount of scholarship | Period of scholarship | Date of commencement of scholarship |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Shri Gautam Prasad Misra . | Rs. 150 per month | Two years | From 18-4-1963. |
| 2. Shri Sati Prasad Mishra | Rs. 150 per per month | Two years | From 19-3-1963. |
| 3. Shri Bhudeo Prasad Shastri | Rs. 150 per month | Two years | From 2-7-1963. |
| 4. Shri Krishna Hari Sharma Pandey | Rs. 150 per month | Two years | From 7-10-1963.] |

पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए कार्यकारी दल

३४८. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने हाल में पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए श्री एल० पी० सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया है ; यदि हां, तो इस दल के निर्देश पद क्या हैं और इस में कौन कौन लोग शामिल हैं ; और

(ख) क्या इसने अब तक कोई अंतरिम प्रतिवेदन दिया है ; यदि हां, तो उस में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†[WORKING GROUP FOR THE WELFARE OF BACKWARD CLASSES

348. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Home Affairs have recently constituted a Working Group for the welfare of the Backward Classes under the Chairmanship of Shri L. P. Singh; if so, what are the terms of reference and composition of the Group; and

(b) whether it has submitted any interim report so far; if so, what recommendations have been made therein?]

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

इस दल के निर्देश पद निम्नलिखित हैं :—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पिछड़ी जातियों के लिये योजनाओं और प्रोग्रामों की प्रगति की आलोचनात्मक समीक्षा करना ;

(२) वर्तमान प्रवृत्तियों तथा अन्य प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तृतीय योजना की अवधि के अन्त तक प्राप्त हो जाने वाली स्थिति की जांच करना ; तथा

(३) यथासम्भव पन्द्रह वर्ष (सन् १९६६ से लेकर १९८१ तक) के सम्बन्ध में चतुर्थ योजना के लिये प्रस्ताव देना ।

सदस्यों के नाम तथा पद परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

†[] English translation.